प्रारंभिक परीक्षा

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण

संदर्भ

केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बारे में -

- **अनुच्छेद 222(1):** यह विधेयक **राष्ट्रपति** को भारत के मुख्य न्यायाधीश (**CJI**) के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार देता है।
- **कॉलेजियम द्वारा अनुशंसा**:
    - मुख्य न्यायाधीश की अगुआई में **सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम** स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करता है।
    - इसमें सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श किया जाता है।
    - निम्नलिखित से इनपुट मांगे जाते हैं:
        - संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
        - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो पहले संबंधित उच्च न्यायालय में सेवा दे चुके हों।
- **सरकार द्वारा समीक्षा**:
    - विधि मंत्री सिफारिश की समीक्षा करते हैं और प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं।
    - प्रधानमंत्री इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं।
- **राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन और अधिसूचना:**
    - राष्ट्रपति स्थानांतरण को मंजूरी देने वाला आदेश जारी करते हैं और स्थानांतरण को औपचारिक रूप देने के लिए **राजपत्र अधिसूचना** प्रकाशित की जाती है।

स्रोत:

- The Hindu - HC Judge Transfer

गहरे समुद्र में खनन के प्रभाव

संदर्भ

हालिया अध्ययन के अनुसार, प्रशांत महासागर सीबेड की एक पट्टी, जिस पर 40 वर्ष पूर्व (1979 में) माइनिंग की गई थी, अभी तक पुनर्प्राप्त (रिकवर) नहीं हो पाई है।

गहरे समुद्र में खनन (Deep-Sea Mining) क्या है?

- गहरे समुद्र में खनन, समुद्र तल से खनिज निक्षेप और धातुओं के निष्कर्षण को संदर्भित करता है। इसके तीन प्रकार हैं:
  - **पॉलीमेटेलिक नोड्यूल माइनिंग**: सीबेड से धातु-समृद्ध नोड्यूल एकत्र करना।
  - **सीफ्लोर सल्फाइड माइनिंग**: हाइड्रोथर्मल वेंट से सल्फाइड निक्षेप निकालना।
  - **कोबाल्ट क्रस्ट माइनिंग**: पानी के नीचे की चट्टानों से कोबाल्ट-समृद्ध क्रस्ट को अलग करना।
- **यह महत्वपूर्ण क्यों है?**
  - इन भंडारों में **निकेल, दुर्लभ मृदा तत्व, कोबाल्ट आदि होते हैं,** जो **अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, बैटरी और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स** (जैसे, सेलफोन, कंप्यूटर) के लिए आवश्यक हैं।
  - जैसे-जैसे अपतटीय भंडार घटते जा रहे हैं, कंपनियाँ और सरकारें गहरे समुद्र में खनन को एक रणनीतिक संसाधन के रूप में देख रही हैं।

गहरे समुद्र में खनन के प्रभाव

- **समुद्र नितल (सीबेड)का भौतिक विनाश:**
  - खनन से सीबेड की ऊपरी परतें नष्ट हो जाती हैं, जिससे मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है।
  - डीप सी तलछट पर निर्भर जीवों के **आवास का स्थायी विनाश।**
- **समुद्री जैव विविधता पर प्रभाव**:
  - **समुद्री जीवन में कमी**: डीप सी में रहने वाले कोरल, स्पंज और नीचे रहने वाले जीवों सहित कई प्रजातियाँ जीवित रहने के लिए संघर्ष करती हैं।
- **शोर, कंपन और प्रकाश प्रदूषण**:
  - **गहरे समुद्र में खनन कार्य** से तेज़ आवाज़ और कंपन उत्पन्न होता है, जिससे **समुद्री संचार** (व्हेल, मछली और अन्य प्रजातियाँ) बाधित होता है।
  - डीप सी वातावरण में कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था रात्रिचर प्रजातियों और उनके प्राकृतिक व्यवहार को प्रभावित करती है।
- **रासायनिक प्रदूषण और विषाक्त अपशिष्ट**:
  - खनन से **पारा, सीसा और आर्सेनिक जैसी भारी धातुएँ** निर्मुक्त होती हैं, जो पानी और समुद्री खाद्य शृंखलाओं को दूषित करती हैं।
  - खनन से निकलने वाले अपशिष्ट के निपटान से **महासागरीय अम्लीकरण** बढ़ता है, जिससे प्रवाल भित्तियाँ और समुद्री जैव विविधता प्रभावित होती है।
- **जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ**:
  - डीप सी **कार्बन सिंक** के रूप में कार्य करता है, जो **भारी मात्रा में कार्बन संग्रहित** करता है।
  - खनन इन तलछटों को बाधित करता है, संभावित रूप से संग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है, और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।

स्रोत:

- Impact of Deep Sea Mining

पार्कर सोलर प्रोब(Parker Solar Probe)

संदर्भ

नासा का पार्कर सोलर प्रोब सौर अन्वेषण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, इसने हाल ही में सूर्य के निकट अपनी 23वीं यात्रा पूरी की है।

पार्कर प्रोब के बारे में -

- पार्कर प्रोब **नासा के 'लिविंग विद अ स्टार' कार्यक्रम** का हिस्सा है।
- **मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य**: सौर रहस्यों को उजागर करना।
    - **कोरोना का तापमान**: यह जांच करना कि सूर्य का कोरोना उसकी सतह (~5,500 °C) की तुलना में अधिक गर्म (1-2 मिलियन °C) क्यों है।
    - **सौर पवन की उत्पत्ति**: यह समझना कि आवेशित कणों का निरंतर प्रवाह कैसे बनता और विकसित होता है।
    - **कोरोनल मास इजेक्शन** (**CMEs**): अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करने वाले प्लाज्मा बादलों के निर्माण का अध्ययन।
- **मिशन टाइमलाइन:**
    - **प्रक्षेपण**: 12 अगस्त, 2018 को डेल्टा **IV** हेवी रॉकेट पर।
    - **अवधि**: सात वर्ष, सूर्य के क्रमशः निकटवर्ती कक्षाओं के साथ।
- यह अंतरिक्ष यान सूर्य के सबसे निकट की कृत्रिम वस्तु बन गया है। यह धीरे-धीरे सूर्य के करीब पहुंच गया है, शुक्र ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके इसे एक तंग कक्षा में ले जाने के लिए इसके आगे से उड़ान भर रहा है।
- **प्रमुख विशेषताएँ**:
    - **चाल**: 6,90,000 किमी/घंटा तक (नई दिल्ली से चेन्नई तक लगभग 10 सेकंड में यात्रा करने के लिए पर्याप्त तीव्र)।
    - **हीट शील्ड**: 4.5 इंच मोटी कार्बन-कम्पोजिट शील्ड इसके उपकरणों को 1,377 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान से बचाती है, **जिससे वे 29 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहते हैं।** सौर शील्ड को अंतरिक्ष यान के सूर्य की ओर वाले हिस्से पर रखा गया है।
    - **शीतलन प्रणाली**: ऊष्मा को अवशोषित करने और विकीर्ण करने के लिए एक गैलन पानी का परिसंचरण करता है।

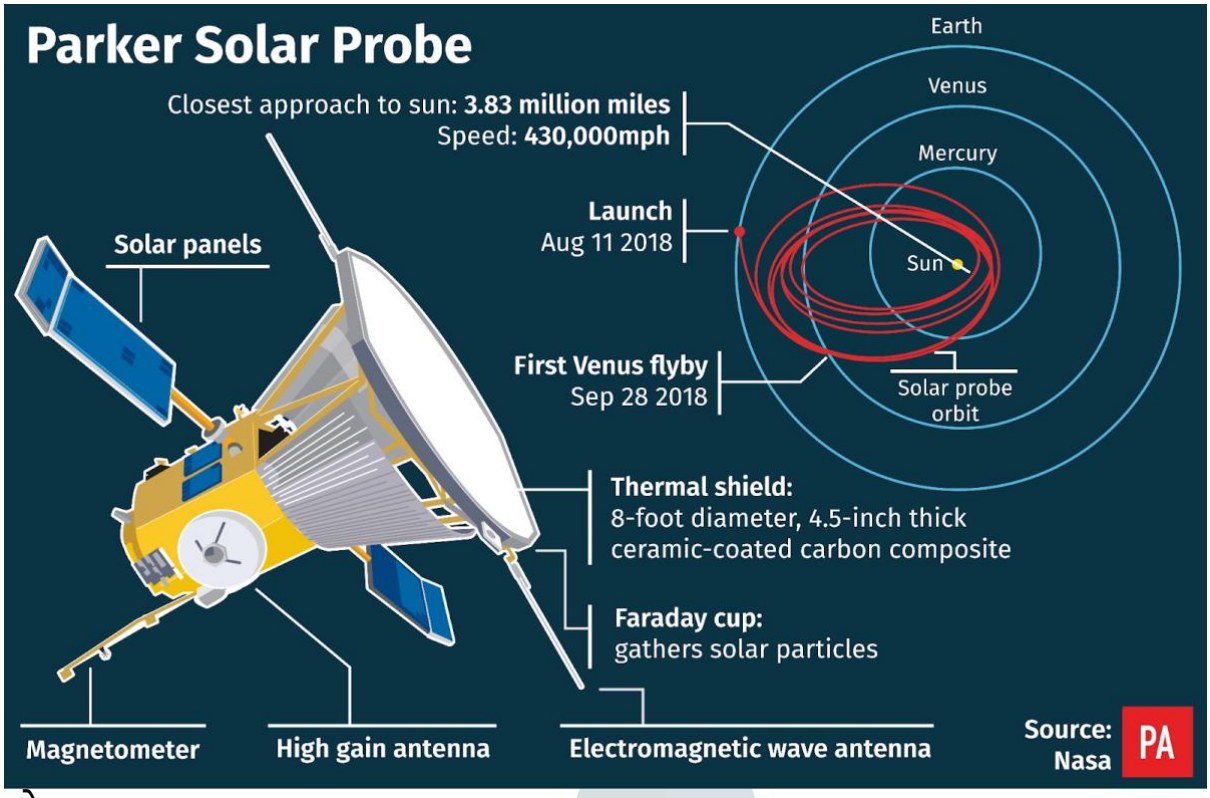

स्रोत:

- [The Hindu - Parker Solar Probe]

समाचार संक्षेप में

ऑपरेशन ब्रह्मा

- **भारत सरकार ने म्यांमार को मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)** प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है।
- यह ऑपरेशन विदेश मंत्रालय (MEA) के तहत **एकीकृत रक्षा स्टाफ (IDS), भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)** के समन्वय में चलाया जा रहा है।

हाल के वर्षों में भारत द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सहायता कार्यक्रम

- **ऑपरेशन इंद्रावती (2024) - हैती**
- **ऑपरेशन कावेरी (2023) - सूडान**
- **ऑपरेशन अजय (2023) - इज़राइल**
- **ऑपरेशन दोस्त (2023) - तुर्की और सीरिया**
- **ऑपरेशन गंगा (2022) - यूक्रेन**
- **ऑपरेशन देवी शक्ति (2021) - अफगानिस्तान**

स्रोत:

- PIB - Operation Brahma

INIOCHOS-25

- **भारतीय वायु सेना (IAF) अभ्यास INIOCHOS-25** में भाग लेगी। यह ग्रीस के **एंड्रावीडा एयर बेस** पर होगा।
- INIOCHOS एक **द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास** है, जिसे **हेलेनिक एयर फ़ोर्स (ग्रीस)** द्वारा आयोजित किया जाता है।
- यह वायु सेनाओं को अपने कौशल को बढ़ाने, सामरिक विशेषज्ञता साझा करने और मजबूत सैन्य संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है।

स्रोत:

- PIB - INIOCHOS-25

सरहुल महोत्सव

- सरहुल **झारखंड और छोटे नागपुर क्षेत्र** में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है।
  - **सरहुल** का अर्थ है "साल वृक्ष की पूजा।"
- यह **नए साल और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है।** यह सूर्य और पृथ्वी के मिलन का भी प्रतीक है।
- यह त्यौहार **झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार** के आदिवासी गाँवों में पाए जाने वाले पवित्र **सरना स्थलों में तीन दिनों** तक मनाया जाता है।
- सरहुल मनाने वाली जनजातियाँ: **उरांव, मुंडा, संथाल, खड़िया और हो** जनजातियाँ।

स्रोत:

- Indian Express - Sarhul Festival

सेंट्रीफ्यूज़ का उपयोग करके यूरेनियम संवर्धन

- सेंट्रीफ्यूज़ संवर्धन (Centrifuge enrichment) एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग प्राकृतिक यूरेनियम में

यूरेनियम-235 (U-235) की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है।

- U-235 यूरेनियम का वह प्रकार है जो **परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु हथियारों** के लिए आवश्यक है क्योंकि यह विखंडन (ऊर्जा मुक्त करने के लिए परमाणुओं का विखंडन) से गुजर सकता है।

सेंट्रीफ्यूज कैसे काम करता है?

- सेंट्रीफ्यूज एक स्पिनिंग मशीन है जो सामग्री को उनके वजन के आधार पर अलग करती है।
- यह वॉशिंग मशीन के स्पिन चक्र के समान सिद्धांत पर काम करता है, जो भारी पानी को बाहर की ओर धकेलता है और हल्के कपड़ों को केंद्र (centee) में छोड़ देता है।
- **प्रक्रिया:**
  - **यूरेनियम को गैस में बदलना**: यूरेनियम को **यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड** (**UF_6**) नामक गैस में बदल दिया जाता है, ताकि इसे आसानी से अलग किया जा सके।
  - **सेंट्रीफ्यूज में गैस को घुमाना**: सेंट्रीफ्यूज बहुत तेज़ गति से घूमता है (प्रति मिनट 50,000 चक्कर तक)।
    - **भारी U-238 बाहर की ओर बढ़ता है, जबकि हल्का U-235 केंद्र के करीब रहता है।**
  - **प्रक्रिया को एकत्रित करना और दोहराना**: अधिक U-235 वाली गैस को आगे पृथक्करण के लिए दूसरे सेंट्रीफ्यूज में स्थानांतरित किया जाता है।
    - U-235 सांद्रता को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है।

स्रोत:

- The Hindu - Uranium Centrifuge

महाबोधि मंदिर परिसर

- बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर, बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है तथा यह वह स्थान है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
- यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
- इसका निर्माण मूलतः सम्राट अशोक (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) द्वारा कराया गया था और बाद में गुप्त शासकों (चौथी-छठी शताब्दी ई.) द्वारा इसका विस्तार किया गया।
- यह निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, के तट पर स्थित है।
- **परिसर में अन्य मंदिर:**
  - **बोधि वृक्ष:** यह उस मूल बोधि वृक्ष का वंशज है, जिसके नीचे बुद्ध ने ध्यान किया था।
  - **वज्रासन (हीरा सिंहासन):** यह एक पत्थर का मंच है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सात दिनों तक ध्यान लगाया था। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था।
  - चंक्रमण पथ (बुद्ध का पैदल मार्ग)।
  - अनिमेष लोचन चैत्य (जहाँ बुद्ध ने गहन चिंतन में एक सप्ताह व्यतीत किया था)।
  - पवित्र कमल तालाब

स्रोत:

The Hindu - Mahabodhi Temple

संपादकीय सारांश

भारत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा

संदर्भ

इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया।

भारत को अपने विद्युत मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है?

- **बढ़ती विद्युत् की मांग:** औद्योगीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण, भारत की विद्युत् मांग 2047 तक तीन गुना बढ़ने का अनुमान है।
    - परमाणु ऊर्जा के साथ विविध ऊर्जा मिश्रण, एक स्थिर एवं मापनीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- **कम कार्बन उत्सर्जन:** जीवाश्म ईंधन (कोयला: भारत की ऊर्जा का लगभग 70%) गंभीर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।
    - परमाणु ऊर्जा लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ आधारभूत विद्युत् उपलब्ध कराती है, जिससे भारत को अपने नेट जीरो 2070 लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्राप्त होती है।
- **विश्वसनीय एवं स्थिर विद्युत् उत्पादन:** सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत, जो अस्थायी हैं, परमाणु ऊर्जा निरंतर विद्युत् उत्पादन प्रदान करती है।
    - कोयले और जलविद्युत पर निर्भरता कम होती है, जो मौसमी एवं आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों का सामना करते हैं।
- **कुशल भूमि उपयोग:** समान विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को सौर या पवन ऊर्जा फार्मों की तुलना में, अत्यधिक कम भूमि की आवश्यकता होती है।
    - भारत के लिए यह आवश्यक है, जहां जनसंख्या घनत्व के कारण भूमि की उपलब्धता सीमित है।
- **भारत के थोरियम भंडार का उपयोग:** भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान करता है।
    - त्रि-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षमता का पूर्ण लाभ प्राप्त करना है।
- **तकनीकी एवं औद्योगिक विकास:** परमाणु ऊर्जा में निवेश से, स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, रोजगार सृजन तथा तकनीकी प्रगति को बढ़ावा प्राप्त होता है।
    - प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (**PHWRs**), फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (**SMRs**) में भारत की सफलता, परमाणु तकनीक में आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
- **वैश्विक ऊर्जा संकटों के विरुद्ध लचीलापन:** वैश्विक तेल और गैस बाजार, मूल्य में अस्थिरता एवं आपूर्ति में व्यवधान (जैसे- रूस-यूक्रेन युद्ध) से ग्रस्त हैं।
    - परमाणु ऊर्जा एक पूर्वानुमानित और दीर्घकालिक ऊर्जा स्रोत प्रदान करती है।

भारत की परमाणु रणनीति

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- भारत की परमाणु यात्रा 1948 में, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ आरंभ हुई।
- एशिया का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर- अप्सरा, 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (**BARC**) में संचालित किया गया था।
- भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव होमी भाभा की दूरदर्शी त्रि-चरणीय रणनीति पर आधारित है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रचुर थोरियम भंडार का लाभ प्राप्त करती है।

वर्तमान स्थिति

- भारत की परमाणु क्षमता **2013-14** में **4,780** मेगावाट से बढ़कर, **2023-24** में **8,180** मेगावाट (**70%** वृद्धि) हो गई है।
- परिचालन रिएक्टरों की संख्या **24** है, जबकि **21** अन्य रिएक्टर (कुल **15,300** मेगावाट) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

- परमाणु संयंत्रों से वार्षिक विद्युत् उत्पादन **34,228** मिलियन यूनिट (**2013-14)** से बढ़कर, **47,971** मिलियन यूनिट (**2023-24)** हो गया है।

स्वदेशी तकनीकी प्रगति

- गुजरात के काकरापार में भारत का पहला स्वदेशी **700** मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (**PHWR) 2023-24** में सफलतापूर्वक संचालित किया गया।
- प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (**PFBR)** ने 2024 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित कर ली हैं**,** जो ईंधन चक्र दक्षता में प्रगति को दर्शाता है।
- भारत के दूसरे चरण के परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक, लगभग पूरी होने वाली है।

भावी पहल और विस्तार योजनाएँ

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (**SMRs**) और भारत स्मॉल रिएक्टर (**BSRs**)

- बजट में **SMRs** अनुसंधान एवं विकास के लिए **20,000** करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- भारत का लक्ष्य- **2033** तक पांच स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए परिचालन **SMRs** विकसित करना है।
- डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों को समर्थन प्रदान करनें के लिए, औद्योगिक तैनाती हेतु **BSRs** (220 मेगावाट **PHWR**) को विस्तारित किया जा रहा है।

2047 का लक्ष्य

- सरकार ने **2047** तक **100** गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है**,** जो वर्तमान **8.18** गीगावाट से बहुत अधिक वृद्धि है।
- विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन का उद्देश्य, घरेलू क्षमताओं को बढ़ाना एवं परमाणु ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाना है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी

- परमाणु ऊर्जा विस्तार के लिए भारत रूस**,** फ्रांस और अमेरिका के साथ सहयोग कर रहा है।
- अमेरिका के साथ साझेदारी में आंध्र प्रदेश के कोव्वाडा में, छह **1,208** मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की योजना बनाई गई है।
- न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (**NPCIL**) और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (**NTPC**) ने परमाणु ऊर्जा सुविधाएं विकसित करने के लिए, एक संयुक्त उद्यम- **ASHVINI** का गठन किया है।
- परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम एवं परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियाँ

- **उच्च आरंभिक लागत:** परमाणु परियोजनाओं के लिए बड़े अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है**,** जिससे वित्तपोषण एक चुनौती बन जाता है।
- **ईंधन आपूर्ति बाधाएँ:** भारत रूस**,** कजाकिस्तान और कनाडा से आयातित यूरेनियम पर निर्भर है**,** यद्यपि थोरियम भंडार दीर्घकालिक क्षमता प्रदान करते हैं।
- **सार्वजनिक धारणा और सुरक्षा चिंताएँ:** भारत के मजबूत सुरक्षा रिकॉर्ड के बावजूद**,** विकिरण की आशंकाओं के कारण परमाणु संयंत्रों का विरोध।
- **प्रौद्योगिकी विकास और विलंब:** फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थोरियम चक्र विकास के लिए महत्वपूर्ण समय तथा अनुसंधान एवं विकास निवेश की आवश्यकता है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:** परमाणु अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान और पुनर्प्रसंस्करण सुनिश्चित करना, एक चुनौती बनी हुई है।
- **ऊर्जा मिश्रण में सीमित योगदान:** वर्ष **2022-23** में, देश में कुल विद्युत् उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग **2.8%** थी।

प्रस्तावित सुधार

- निजी भागीदारी को सक्षम बनाने एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम जैसे पुराने कानूनों में संशोधन करना।
- आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए, रिएक्टरों और ईंधन चक्रों हेतु स्वदेशी तकनीक विकसित करना।
- रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान के लिए स्थायी समाधान स्थापित करना।
- पारदर्शी सुरक्षा उपायों के माध्यम से विश्वास बनाए रखने हेतु, सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाना।
- आगामी परियोजनाओं के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना।

स्रोत: **Indian Express: The Nuclear Leap**

भारत में शिक्षा नीति की आलोचना

संदर्भ

वर्तमान सरकार का त्रि-सूत्रीय एजेंडा, शिक्षा के क्षेत्र में हानिकारक परिणामों की ओर ले जा रहा है।

NEP 2020 और भारत में शिक्षा नीति की प्रमुख आलोचनाएँ -

- **सत्ता का केंद्रीकरण:** आलोचकों का तर्क है कि- **NEP** 2020 संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध डोमेन में राज्य सरकारों को दरकिनार करते हुए, केंद्र सरकार के साथ प्राधिकरण को केंद्रीकृत करता है।
    - उदाहरण के लिए- केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक **2019** से नहीं हुई है, जो कि सहकारी संघवाद की कमी को दर्शाता है।
    - **2025** के **UGC** दिशानिर्देशों का मसौदा, राज्यपालों (कुलाधिपति के रूप में कार्य) को राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए लगभग विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिससे राज्य सरकारों का प्रभाव कम होता है एवं संघीय सिद्धांतों को खतरा उत्पन्न होता है।
    - केंद्र सरकार पर समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के तहत धनराशि रोकने का आरोप लगाया गया है, ताकि राज्यों पर पीएम-श्री स्कूलों जैसी केंद्र द्वारा संचालित पहलों को अपनाने के लिए दबाव डाला जा सके।
- **शिक्षा का व्यावसायीकरण:** सरकार निजी स्कूलों को प्रोत्साहित करके तथा उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (**HEFA**) के माध्यम से ब्लॉक अनुदान के स्थान पर ऋण उपलब्ध कराकर, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है।
    - **2014** से अब तक लगभग **89,441** सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जबकि **42,944** निजी स्कूल स्थापित किए गए हैं, जिससे सीमांत समुदायों को महंगी निजी शिक्षा ग्रहण करनें के लिए विवश होना पड़ रहा है।
    - विश्वविद्यालय **HEFA** ऋण का भुगतान छात्र शुल्क के माध्यम से कर रहे हैं, जिसके कारण शुल्क में वृद्धि हो रही है एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए उच्च शिक्षा कम सुलभ हो रही है।
    - **NEP** द्वारा स्नातक कार्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं अनेक निकास बिंदुओं पर बल दिए जाने की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि, इसमें समान शिक्षा तक पहुंच एवं गुणवत्ता की तुलना में बाजार की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- **पाठ्यक्रम का सांप्रदायिकरण: NCERT** की पाठ्यपुस्तकों में मुगल इतिहास तथा महात्मा गांधी की हत्या से संबंधित महत्वपूर्ण खंडों को हटा दिया गया है, जिससे पाठ्यक्रम डिजाइन में वैचारिक पूर्वाग्रह के संदर्भ में चिंताएं बढ़ गई हैं।
    - लैंगिक अध्ययन, जातिगत भेदभाव और पर्यावरणीय मुद्दों जैसे विषयों को, विचारधारा से प्रेरित कथा के पक्ष में दरकिनार कर दिया गया है।
    - संविधान की प्रस्तावना को आरंभ में पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया था तथा जनता के अत्यधिक विरोध के बाद ही इसे पुनः शामिल किया गया।
    - विश्वविद्यालयों में कथित तौर पर योग्यता के स्थान पर वैचारिक नियुक्तियों को प्राथमिकता दी गई है, जिसके कारण अकादमिक निष्ठा को लेकर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।

अन्य आलोचनाएँ

- **शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में कमी**: सार्वभौमिक रूप से स्कूल तक पहुँच और उच्च शिक्षा नामांकन को दोगुना करने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढाँचे और मानव संसाधनों में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है, जो अपर्याप्त है।
    - उदाहरण के लिए, सिफ़ारिशों के बावजूद, शिक्षा पर सरकारी खर्च सकल घरेलू उत्पाद के **6% से कम** है।
- **गुणवत्ता और पहुँच संबंधी चिंताएँ**: वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पैमाने और गुणवत्ता की कमी है।
    - **प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा पर बल ग्रामीण या आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए असमानताओं** को बढ़ाता है, जिनके पास डिजिटल बुनियादी ढाँचे तक पहुँच नहीं है।

- **सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ**: अमीर छात्र, जो निजी संस्थानों का खर्च उठा सकते हैं या अंतरराष्ट्रीय सहयोग से लाभ उठा सकते हैं को प्राथमिकता देकर, जबकि हाशिए पर स्थित समुदायों को पीछे छोड़कर असमानताओं को और बढ़ाने के कारण **NEP 2020** की आलोचना की गई है।

निष्कर्ष

ये आलोचनाएँ इस चिंता को रेखांकित करती हैं कि एनईपी 2020 कागज़ पर तो नवीन विचारों को प्रस्तुत करती है, किंतु इसके क्रियान्वयन से मौजूदा असमानताओं के बढ़ने और भारत की शिक्षा प्रणाली में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के नष्ट होने का जोखिम है।

स्रोत: **The Hindu: The '3Cs' that haunt Indian education today**

तथ्य और आंकड़े

शहरी भारत में घरेलू कामों में लैंगिक भेद बना हुआ है

सन्दर्भ

भारत में, अधिक शहरी महिलाएं वेतनभोगी रोजगार में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन अवैतनिक घरेलू काम करने वालों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है।

वेतनभोगी रोजगार में वृद्धि

Chart 1: Share of urban men and women **who did paid work** in India in 2019 and 2024. Figures in %

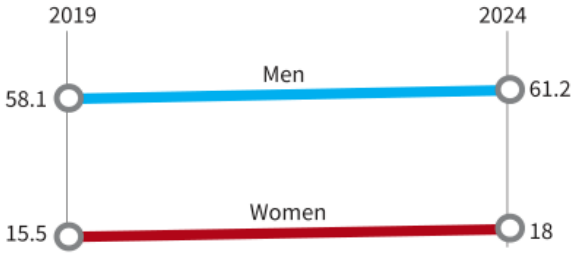

- **शहरी महिलाओं की वेतनभोगी कार्यों में हिस्सेदारी**: इनकी हिस्सेदारी **2019** में **15.5%** से बढ़कर **2024** में **18%** हो गई हैं (**2.5** प्रतिशत अंकों की वृद्धि)।
- **शहरी पुरुषों की वेतनभोगी कार्यों में हिस्सेदारी**: इनकी हिस्सेदारी **2019** में **58.1%** से बढ़कर **2024** में **61.2%** हो गई।
- वेतनभोगी कार्यों में स्वरोजगार, वेतनभोगी नौकरियाँ और आकस्मिक श्रम शामिल हैं।

अवैतनिक घरेलू कार्यों में वृद्धि

Chart 2: Share of urban men and women **who provided unpaid services for their own use** in 2019 and 2024. Figures in %

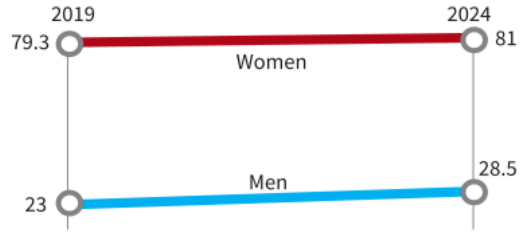

- **अवैतनिक घरेलू काम करने वाली महिलाएँ**: इनकी हिस्सेदारी **2019** में **79.3%** से बढ़कर **2024** में **81%** हो गई।
- **अवैतनिक घरेलू काम करने वाले पुरुष**: इनकी हिस्सेदारी **2019** में **23%** से बढ़कर **2024** में **28.5%** हो गई।
- अवैतनिक घरेलू कामों में घरेलू लेखा-जोखा, सामान खरीदना, खाना बनाना, सफाई करना, कचरा निपटान और रखरखाव के काम शामिल हैं।

देखभाल कार्य की जिम्मेदारियाँ

Chart 3: Share of urban men and women **who took care of the children, sick, elderly and differently abled person** in 2019 and 2024. Figures in %

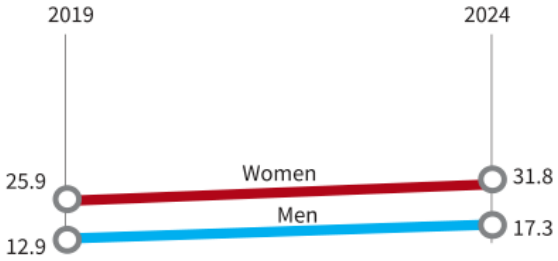

- **बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों की देखभाल करने वाली महिलाएं**: इनकी हिस्सेदारी **2019** में **25.9%** से बढ़कर **2024** में **31.8%** हो गई।
- **देखभाल करने वाली भूमिकाओं में पुरुष**: इनकी हिस्सेदारी **2019** में **12.9%** से बढ़कर **2024** में **17.3%** हो गई।

अवैतनिक कार्य में राज्यवार लैंगिक विभाजन

Chart 4: State-wise share (in %) of urban men and women who did unpaid domestic services for household members in 2024.
● corresponds to north-eastern States

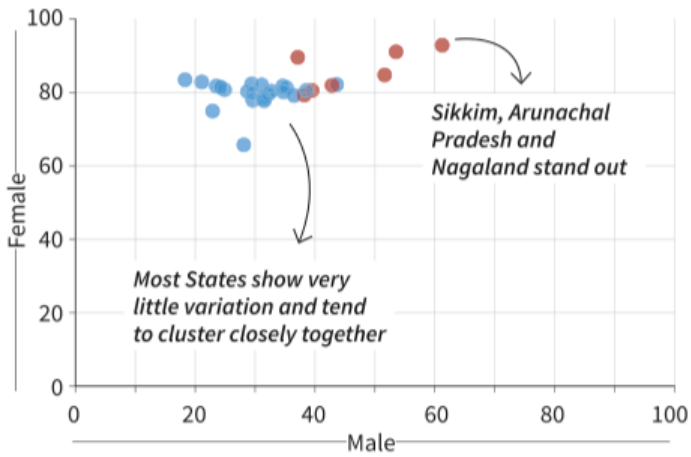

- **अधिकांश राज्यों में**:
  - **घरेलू कामों में शहरी पुरुष**: 20% से 40%।
  - **घरेलू कामों में शहरी महिलाएँ**: 75% से 85%।
- **पूर्वोत्तर राज्यों में घरेलू कामों में पुरुषों की भागीदारी अधिक है**:
  - **सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड**: 50% से अधिक पुरुष घरेलू कामों में संलग्न हैं।
- प्रमुख राज्यों में, **केरल** सबसे आगे है जहाँ घरेलू कामों में **पुरुषों की हिस्सेदारी 44%** हैं।

Chart 5: State-wise share (in %) of urban men and women who did paid employment and related activities in 2024.
● refers to north-eastern States

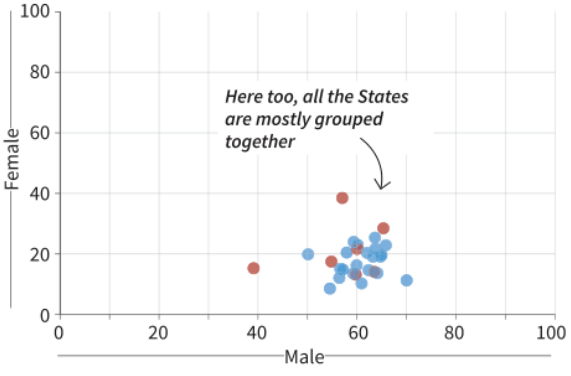

वेतन वाले काम में राज्यवार लैंगिक विभाजन

- **अधिकांश राज्यों में**:
  - **शहरी पुरुषों की वेतनभोगी कार्यों में संलग्नता**: 55% से 65%।
  - **शहरी महिलाओं की वेतनभोगी कार्यों में संलग्नता**: 10% से 25%।
- **सबसे अधिक महिला कार्यबल भागीदारी**:

  - **तमिलनाडु**: 25% शहरी महिलाएँ वेतनभोगी कार्यों में संलग्न हैं।
  - **तेलंगाना**: 24%।
  - **कर्नाटक**: 22%।
  - **हिमाचल** प्रदेश: 23%।
- **सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी**:
  - **बिहार**: 9%।
  - **उत्तर प्रदेश**: 10%.

निष्कर्ष

- वेतनभोगी रोजगार में बढ़ती भागीदारी के बावजूद, अधिकतर शहरी महिलाएँ घरेलू ज़िम्मेदारियों का अधिकांश हिस्सा पूरा करती हैं।
- पेशेवर और घरेलू काम दोनों को संतुलित करने का बोझ तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहाँ **80% से अधिक महिलाएँ** रोजगार के साथ-साथ घरेलू काम भी संभालती हैं।
- अवैतनिक घरेलू कार्यों में लैंगिक असमानता अभी भी स्पष्ट है, जिसमें पुरुषों की भागीदारी अभी भी काफी पीछे है।

विस्तृत कवरेज

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA)

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम को छह माह के लिए बढ़ा दिया है।

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA), 1958 के बारे में -

- **यह संसद का एक अधिनियम है** जो भारतीय सशस्त्र बलों को **"अशांत क्षेत्रों" में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियाँ** प्रदान करता है।
- इस अधिनियम का **मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी गतिविधियों** का मुकाबला करना है।
- **उत्पत्ति:** यह अधिनियम अपने मूल रूप में **1942 में भारत छोड़ो आंदोलन** के प्रत्युत्तर में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था।
    - स्वतंत्रता के बाद इस अधिनियम को अनुरक्षित रखा गया, पहले इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया और फिर **1958 में इसे अधिनियम के रूप में अधिसूचित** किया गया।
- **AFSPA का प्रारंभिक उद्देश्य नागा आंदोलन पर काबू पाना** था। बाद में इसे देश के अन्य अशांत क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया।
- यह अधिनियम गृ**ह मंत्रालय** द्वारा लागू किया जाता है।
- **अशांत क्षेत्र: AFSPA की धारा 3** के तहत किसी क्षेत्र को "अशांत क्षेत्र" घोषित किया जाता है।
    - विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच **मतभेद या विवाद** के कारण कोई क्षेत्र अशांत हो सकता है।
    - केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक पूरे राज्य या उसके किसी भाग को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।
    - **गृह मंत्रालय केवल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश** के लिए AFSPA को विस्तारित करने के लिए समय-समय पर "अशांत क्षेत्र" अधिसूचना जारी करता है।
    - **मणिपुर और असम** के लिए अधिसूचना **राज्य सरकारों** द्वारा जारी की जाती है।
- **AFSPA की वर्तमान स्थिति:**
    - **AFSPA वर्तमान में असम (कुछ जिले), अरुणाचल प्रदेश (कुछ जिले), मणिपुर (इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राज्य), नागालैंड (कुछ जिले) तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर (संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र) में लागू है।**
    - इसे 2018 में मेघालय, 2015 में त्रिपुरा और 1980 के दशक में मिजोरम से पूरी तरह से हटा लिया गया था।
- **AFSPA के अंतर्गत शक्तियाँ:**
    - **गोली चलाने का अधिकार:** सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) को निर्दिष्ट "अशांत क्षेत्रों" में कानून के अनुसार **गोली चलाने और मारने का अधिकार** है।
    - **गिरफ्तारी और नजरबंदी:** संदेह के आधार पर किसी को भी वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को नजदीकी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपना आवश्यक होता है।
    - **तलाशी का अधिकार:** सुरक्षा बल **बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी** ले सकते हैं। किसी भी वाहन को संदेह के आधार पर रोककर उसकी तलाशी ली जा सकती है।
    - **अभियोजन से संरक्षण: सुरक्षा बलों को कानूनी मुकदमों से सुरक्षा** प्रदान की जाती है। अभियोजन के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होती है।
    - **नष्ट करने का अधिकार:** सशस्त्र बल किसी भी शस्त्र भंडार, ठिकाने, किलेबंद आश्रय या उन स्थानों को नष्ट कर सकते हैं, जहाँ से सशस्त्र हमले किए जा रहे हों।

- **न्यायिक समीक्षा**: सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को **"अशांत" घोषित करने के निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं** की जा सकती।

AFSPA की आलोचना

- **उत्तर-पूर्व के लोगों में अलगाव की भावना:** जन आंदोलनों को दबाने के लिए बल प्रयोग से उत्तर-पूर्व के लोगों में अलगाव की भावना बढ़ी है। कई परिवारों ने सैन्य कार्रवाइयों में अपने प्रियजनों को खो दिया है, जिससे वे स्वयं को भारत से अलग महसूस करते हैं।
- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** भारत की न्यायिक संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने AFSPA को उत्पीड़न का प्रतीक बताया है। इस कानून के तहत हिरासत में लंबी अवधि तक रखने और यातना देने की घटनाएँ व्यापक रूप से देखी गई हैं। निर्दोष लोग इस कठोर कानून के कारण पीड़ित हुए हैं।
- **सशस्त्र बलों द्वारा दुरुपयोग:** सुरक्षा बलों ने इस कानून का अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग किया है। कई मामलों में अपहरण और जबरन वसूली जैसी घटनाएँ AFSPA के तहत सुरक्षा के कारण हुई हैं।
- **राज्य सरकारों की शक्तियों का अतिक्रमण:** AFSPA के तहत कार्यरत सुरक्षा बल, राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के समानांतर कार्य करते हैं, जिससे कई बार राज्य सरकार की शक्तियों का उल्लंघन होता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन:** कई विशेषज्ञों का मानना है कि AFSPA निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है:
    - मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणापत्र
    - नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा-पत्र (ICCPR)
    - **यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन**
    - **निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून सिद्धांतों का उल्लंघन:**
        - कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए संयुक्त राष्ट्र आचार संहिता
        - हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का निकाय
        - **न्यायेतर, मनमाने और अविलम्बित निष्पादन की प्रभावी रोकथाम और जांच पर संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत**

- **ICCPR के तहत भारत की जिम्मेदारियाँ:** भारत ने 1978 में **अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अनुबंध (ICCPR)** पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत भारत शांति और सीमित आपातकाल दोनों स्थितियों में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, **AFSPA (सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम)** को ICCPR द्वारा संरक्षित अल्पीकरणीय/**अधिग्रहणीय (derogable)** और गैर-अल्पीकरणीय/अनधिग्रहणीय **(non-derogable) दोनों अधिकारों** के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।
- अनुच्छेद 4: अधिकारों का निलंबन - ICCPR के अनुच्छेद 4 के अनुसार, अधिकारों का अल्पीकरण केवल कुछ कठोर परिस्थितियों में ही किया जा सकता है:
    - **राष्ट्र के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली औपचारिक रूप से घोषित राष्ट्रीय आपात स्थिति** के दौरान ही अधिकारों से विचलन की अनुमति है।
    - **अधिकारों का अल्पीकरण आवश्यक और आनुपातिक (necessary and proportionate) होना चाहिए।**
    - **नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म या सामाजिक मूल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।**
    - **AFSPA में किसी आपात स्थिति की औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं होती,** लेकिन "अशांत क्षेत्र" (Disturbed Area) के वर्गीकरण के माध्यम से एक अर्ध-आपातकालीन (quasi-emergency) स्थिति बना दी जाती है। इस कारण 1958 से अब तक **एक कृत्रिम आपातकाल (artificial emergency) जैसी स्थिति बनी हुई है।**
- **अनुच्छेद 9 का उल्लंघन:** मनमाना हिरासत - AFSPA की गिरफ्तारी और हिरासत की व्यापक शक्तियों को ICCPR के अनुच्छेद 9 के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, जिसके तहत समय पर न्यायिक

निगरानी और हिरासत के लिए उचित समय-सीमा की आवश्यकता होती है।
    - AFSPA में हिरासत के लिए निश्चित समय सीमा का अभाव है, जिससे अनुच्छेद 9 (3) में निहित सुरक्षा की उपेक्षा होती है।
- **गैर-अल्पीकरणीय अधिकारों का विरोधाभास (अनुच्छेद 6, 7 और 10)**
    - **अनुच्छेद 6:** जीवन का अधिकार
    - **अनुच्छेद 7:** यातना का निषेध
    - **अनुच्छेद 10:** सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार इन गैर-अल्पीकरणीय अधिकारों का कथित रूप से AFSPA के प्रावधानों द्वारा उल्लंघन किया जाता है, जो अप्रतिबंधित बल प्रयोग, न्यायिक सुरक्षा के बिना गिरफ्तारी, और बंदियों को नागरिक पुलिस को सौंपने से पहले अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 2 का उल्लंघन:** न्यायिक उपचार का अधिकार - अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं को अनिवार्य बनाता है, फिर भी AFSPA व्यापक शर्तों के तहत हिरासत की अनुमति देता है, जो संभवतः इस अधिकार का उल्लंघन करता है।
    - इसके अलावा, **भारत ने अन्य ICCPR हस्ताक्षरकर्ता देशों को अधिकारों के अल्पीकरण (derogation) की जानकारी नहीं दी है,** जबकि किसी भी ICCPR प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में ऐसा करना आवश्यक है।

AFSPA कानून के दुरुपयोग की घटनाएँ

- **मोन घटना:** 2021 में सशस्त्र बलों ने एक समूह पर गोलीबारी की, जो अपने कार्यस्थल से लौट रहा था, यह मानते हुए कि वे प्रतिबंधित संगठन NSCN (K) के सदस्य हैं।
    - इस गोलीबारी में कई निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हो गई, परंतु इस घटना के लिए जिम्मेदार सशस्त्र बलों के कर्मियों पर AFSPA के तहत प्रदत्त **प्रतिरक्षा (उन्मुक्ति)** के कारण कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।
- **मालोम घटना:** वर्ष 2000 में, इम्फाल के तुलिहाल हवाई अड्डे के पास मालोम कस्बे में बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे 10 नागरिकों की 8वीं असम राइफल्स द्वारा हत्या कर दी गई थी।
    - यह कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ थी। घटना के बाद इरोम शर्मिला ने AFSPA को पूरी तरह से हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की।
- **तिनसुकिया फर्जी मुठभेड़:** 18 पंजाब रेजिमेंट ने **यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA)** के संदिग्ध सदस्यों की खोज में **9 युवकों** को उनके घरों से उठा लिया। यह कार्रवाई **एक चाय बागान प्रबंधक की हत्या** के बाद की गई थी।
    - बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बाद, उनमें से 4 को रिहा कर दिया गया, जबकि बाकी को एक दूरस्थ स्थान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई।

AFSPA पर न्यायिक निर्णय

- **नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ (1998):** न्यायालय ने माना कि इस अधिनियम को संविधान का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है और अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियाँ **मनमानी और अनुचित** नहीं हैं और इसलिए संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।
    - हालांकि, अदालत ने कहा कि सेना के जवानों को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के संदेह में धारा 4 के तहत **न्यूनतम बल का सख्ती से पालन** करना आवश्यक है।
    - इसके अलावा, **राज्य को हर छह महीने में अधिनियम की समीक्षा** करनी होगी।
- **जुलाई 2016 का निर्णय:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि **अत्यधिक बल (एक्सेसिव फोर्स) या प्रतिकारात्मक बल (रिटेलिएटरी फोर्स)** का प्रयोग न किया जाए, भले ही क्षेत्र को "अशांत" घोषित कर दिया गया हो और वहाँ AFSPA लागू हो।
- **जुलाई 2017 का निर्णय:** मणिपुर में कथित गैरकानूनी मुठभेड़ द्वारा हत्याओं पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम था।

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और सेना की आपत्तियों को खारिज कर दिया और **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मुठभेड़ में हुई मौतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का आदेश** दिया।

विभिन्न समितियों की सिफारिशें

- **बीपी जीवन रेड्डी समिति (2005):** समिति का भी मानना था कि यह अधिनियम कई प्रावधानों में अपर्याप्त है। समिति ने यह भी कहा कि कानून की समीक्षा की जानी चाहिए और सुरक्षा बलों को सेना के कानून के बजाय सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।
- **संतोष हेगड़े समिति (2013):** समिति का मानना था कि यदि अधिक शक्तियाँ दी जाती हैं, तो उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण भी उतना ही कठोर होना चाहिए और उनकी निगरानी के लिए सख्त तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- **सार्वजनिक व्यवस्था पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 5वीं रिपोर्ट** में भी AFSPA को निरस्त करने की सिफारिश की गई है।

आगे की राह

- **विश्वास निर्माण और समुदाय की भागीदारी:** सशस्त्र बलों को स्थानीय जनसंख्या के साथ सक्रिय रूप से संवाद स्थापित करना चाहिए और विश्वास तथा आपसी समझ को विकसित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
- **पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना:**सुरक्षा बलों और सरकार को लंबित मामलों के शीघ्र समाधान हेतु कार्य करना चाहिए और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को संबोधित करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए।
- **स्थानीय कानून प्रवर्तन को मजबूत करना:** राज्य सरकारों को स्थानीय कानून और व्यवस्था तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
    - यदि स्थानीय पुलिस सुरक्षा स्थितियों को प्रभावी रूप से संभालने में सक्षम हो जाती है, तो अफस्पा की आवश्यकता कम हो सकती है और इसे धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है।
- **मामले के वैशिष्ट्य के आधार पर लागू करना:** सरकार को मामला-दर-मामला आधार पर AFSPA को लागू करने और हटाने पर विचार करना चाहिए, तथा इसे पूरे राज्य में लागू करने के बजाय महत्वपूर्ण अशांति का सामना कर रहे विशिष्ट जिलों तक ही सीमित रखना चाहिए।
- **सामान्य स्थिति और विकास की बहाली:** भारत के लिए अपनी एक्ट ईस्ट नीति को पूरा करने और पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग करने के लिए इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
    - विसैन्यीकरण तथा अंतर्निहित मुद्दों का समाधान दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान दे सकता है, जिससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

स्रोत:

- **The Hindu: AFSPA extended in Manipur, Nagaland, Arunachal for six months**
- **Indian Express: What is AFSPA, and why are states in Northeast against it?**
- **Rostrum Legal**
- **The Hindu: After 2022, AFSPA further reduced in Assam, Manipur and Nagaland due to improved security situation**